मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

59, द्वितीय तल, "सी" ब्लॉक नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र.)

फोटोकापी कार्य के लिये प्रस्तुत किये जाने वाली निविदा पत्रक अवधि नवम्बर 2012 से नवम्बर 2013 हेतु

निविदा उपलब्ध होने की तिथि	: 22.10.12 समय 5.00 अपरान्ह तक
निविदा प्रस्तुत करने की तिथि	: 26.10.12 समय 3.00 अपरान्ह तक
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	: 30.10.12 समय 12.00 अपरान्ह
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	: 30.10.12 समय 2.30 अपरान्ह
निविदादाता फर्म का पता	: ....

10-10-12

संस्था का संक्षिप्त विवरण :–

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों को अकुशल मानव श्रम तथा परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु कार्यरत है। परिषद् का मुख्यालय 39, द्वितीय तल, "सी" ब्लॉक नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है।

कार्य का संक्षिप्त विवरण :–

कार्यालयीन उपयोग हेतु फोटोकापी कार्य लीगल, ए–4 एवं ए–3 साईज में (सेट बनाना सहित), स्टेपल करना, स्पायरल बाईंडिंग आदि कार्य सम्मिलित है। फोटोकापी कार्य की आवश्यकता सामान्यतः कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक होती है, किन्तु विशेष अवसरों यथा विधानसभा सत्र, विशेष बैठकों के आयोजन के समय, कार्यालयीन आवश्यकतानुसार उक्त समय के पहले/बाद एवं अवकाश दिवस पर किया जाना अनिवार्य होता है। निर्धारित समयावधि में फोटोकापी करने वाले व्यक्ति की निरंतर उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुमानित रूप से औसतन प्रतिमाह लगभग 30000 पृष्ठों की फोटोकापी का कार्य होता है। यह मात्रा कम या अधिक भी हो सकती है।

निविदा के संबंध में आवश्यक शर्तें :–

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपए 2000/– होगा। 2000 रू. का डिमाड ड्राफ्ट जोकि मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के नाम से देय हो, परिषद् मुख्यालय भोपाल में जमा कराने पर प्रदाय किया जायेगा। यह प्रपत्र परिषद् की "वेबसाईट – www.nregs-mp.org" पर भी उपलब्ध है। इस बेवासाईट से भी इसको डाउनलोड कर निविदा में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर तकनीकी निविदा के साथ 2000/– रू. का डिमाण्ड ड्राफ्ट् पृथक से संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी। 2000/– रू. की यह राशि नॉन रिफण्डेबल होगी।

2. निविदाकार को निविदा के साथ रूपए 20000/- (रूपए बीस हजार मात्र) का डी.डी. जो म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल के नाम से होगा प्रतिभूति राशि के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सफल निविदाकार की यह प्रतिभूति राशि बतौर सुरक्षा निधि परिषद् में जमा रहेगी जोकि अनुबंध समाप्ति के 3 माह के बाद वापस की जायेगी। जिन निविदाकारों की निविदाएं अमान्य होगी, उनकी प्रतिभूति राशि निविदा तिथि के एक माह के पश्चात् वापस की जायेगी।

3. निविदाकार को फोटोकापी की मशीन परिषद् कार्यालय परिसर में ही स्थापित करनी होगी। मशीन रखने हेतु परिषद् द्वारा अपने परिसर में **निःशुल्क स्थान** उपलब्ध कराया जाएगा।

4. फोटोकापी, स्पायरल बाईंडिंग मशीन के लिए परिषद् द्वारा मात्र **विद्युत व्यवस्था उपलब्ध** कराई जाएगी, जिसका **कोई शुल्क निविदाकार एजेंसी से नहीं लिया जाएगा।**

5. परिषद् कार्यालय में स्थापित इस फोटोकापी मशीन द्वारा परिषद् के अलावा अन्य **किसी कार्यालय/व्यक्ति आदि की कोई भी फोटोकापी का कार्य बिना परिषद् की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।**

6. निविदाकार एजेंसी फोटोकापी कार्य के लिए **उच्च गुणवत्ता का पेपर** का उपयोग किया जाएगा।

7. उपयोग किए जाने वाला उच्च गुणवत्ता का कार्य की आवश्यकतानुसार पेपर, स्टेपलर, स्ट्रेपलर पिन, (छोटी/ बड़ी) स्पायरल बाईंडिंग से संबंधित सामग्री आदि की व्यवस्था निविदाकार एजेंसी द्वारा की जानी होगी।

8. फोटोकापी मशीन **हेवी ड्यूटी** की एवं **6 माह से अधिक पुरानी** नहीं होना चाहिए। **इस हेतु मशीन का क्रय व्हाउचर की छायाप्रति अनुबंध के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

9. फोटोकापी कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाला **टोनर**, (जो निविदाकार एजेंसी का होगा) **उच्च गुणवत्ता** का होना चाहिए।

10. आवश्यकतानुसार फोटोकापी कार्य करने के लिए एक अथवा एक से अधिक ऑपरेटर/व्यक्ति निविदाकार एजेंसी द्वारा कार्य पर लगाया जाएगा।

10-10-12

11. मशीन खराब/प्रिन्ट खराब होने पर निविदाकार एजेंसी द्वारा फोटोकापी कार्य करने की तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। अन्यथा 100/– रू. प्रति घंटे के हिसाब से आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।

12. यदि मशीन खराब/प्रिन्ट खराब अथवा ऑपरेटर की अनुपलब्धता की स्थिति में निविदाकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने की स्थिति में कार्यालय द्वारा फोटोकापी का कार्य खुले बाजार से कराया जाएगा तथा इस पर होने वाला **अतिरिक्त व्यय निविदाकार एजेंसी के देय राशि से वसूल किया जा सकेगा।**

13. निविदाकार द्वारा दी गई दरें **केवल एक वर्ष (नवम्बर 2012 से नवम्बर 2013)** के लिए मान्य होंगी। कार्यगुणवत्ता आधार पर पुरानी ही दरो पर निविदा समाप्ति बाद 6 माह या नवीन निविदा जो पहले हो तक, आयुक्त मनरेगा कार्य हेतु आदेशित कर सकते है।

14. सामान्यतः निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर को स्वीकार किया जाएगा, किन्तु प्राप्त निविदाओं में से किसी एक अथवा किसी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार परिषद् के पास सुरक्षित रहेगा।

15. की गई फोटोकापी या निविदा में अंकित अन्य कार्य यदि गुणवत्ता का नहीं होगा तो उक्त कार्य को बिना मूल्य के संबंधित संस्था को करना होगा।

16. संबंधित निविदा दाता को शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र प्रपत्र–1 "अ" में अनिवार्य होगा। इसको तकनीकी निविदा प्रपत्र–1 के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

17. संबंधित निविदादाता का वित्त वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में औसत टर्न ओवर रू. 5,00000/– से कम नहीं होना चाहिये।

18. सशर्त निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।

19. फोटोकापी की गुणवत्ता में कमी पाए जाने, फोटोकापी कार्य में अनावश्यक देरी करने, सेवा में कमी, कार्य संतोषजनक होने की स्थित में निविदाकार के साथ किया अनुबंध सुरक्षा निधि जप्त कर तत्काल समाप्त किया जा सकेगा।

20. निविदाकार एजेंसी का आयकर का **पैन क्रमांक होना अनिवार्य** है, जिसका उल्लेख देयकों में किया जाना अनिवार्य होगा।

1.10.12

21. निविदा की दरें प्रति कॉपी (सेट बनाकर स्टेपल सहित) होगी तथा समस्त कर सहित होंगी। इस दर के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

22. फोटोकापी के कार्य में निविदत्त दर के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई भुगतान नही किया जायेगा। इसी के साथ समस्त प्रकार के शासकीय करों आदि एवं अन्य प्रभार चुकाने का उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का होगा।

23. शासन के नियमानुसार एवं समय–समय पर प्रसारित निर्देशानुसार देय करों की कटौती देयक में से की जा सकेगी, जिसका प्रमाण पत्र परिषद् द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

24. निविदा दाता द्वारा फोटोकापी करने वाले व्यक्तियों का व्यवहार मधुर एवं कार्यालयीन गरिमा के अनुरूप होना चाहिये।

25. परिषद् कार्यालय के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कराए जाने वाले फोटोकापी, स्पायरल बाईंडिंग कार्य आदि के लिए एक स्लिप हस्ताक्षरित कर दी जाएगी। इस स्लिप के आधार पर निविदाकार एजेंसी द्वारा प्रतिमाह देयक परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तुत देयक का भुगतान संबंधित संस्था को आवश्यक कर आदि काटकर चैक द्वारा किया जाएगा।

26. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

27. म0प्र0 शासन द्वारा जारी अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग से न्यूनतम 30 प्रतिशत् शासकीय क्रय किए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों/संस्था को निविदा की शर्तें पूर्ण करने पर प्राथमिकता दी जावेगी ।

28. निविदा दाता द्वारा गतमाह का देयक आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा जिसका भुगतान सामान्य रूप से चालू माह में कर दिया जायेगा। किसी विशिष्ट कारण के होने से भुगतान मे विलम्ब हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त ब्याज आदि की मांग नहीं की जा सकेगी। भुगतान के पूर्व किसी भी प्रकार का कर या शासकीय अंशदान जिसको कि शासकीय खजाने में संबंधित फर्म द्वारा जमा कराया जाना है, की जानकारी परिषद् द्वारा मांगी जा सकेगी।

10-10-12

29. किसी भी निविदादाता के प्रकरण को या सम्पूर्ण निविदा कार्यक्रम को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार आयुक्त मनरेगा के पास सुरक्षित रहेगा।

30. संबंधि निविदा दाता द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य न करने या अनुबंध की किसी धारा का उल्लघंन करने पर 15 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल को होगा। (प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी)

31. यदि संबंधित निविदा दाता स्वंय कार्य छोड़ना चाहता है तो उसको तीन माह पहले लिखित में सूचना देनी होगी एवं ऐसा होने पर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी।

32. सफल निविदादाता द्वारा सफलता पूर्वक अनुबंध पूर्ण करने की दशा में एवं कार्य संतोष जनक होने पर पुरानी शर्तों एवं दरों पर ही एवं नयी निविदा होने तक अधिकतम 6 माह तक कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है।

33. एजेंसी व आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद/बाद उत्पन्न होने पर आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल को निराकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा जो अपना निर्णय 30 दिन में देगे। किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त•मनरेगा परिषद् का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

34. प्रश्नाधीन निविदा कार्य के संबंध में समस्त निर्णय लेने के अधिकार आयुक्त मनरेगा के पास सुरक्षित होंगे।

35. इस निविदा के साथ निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक निर्देश तकनीकी निविदा पूर्व कार्य का अनुभव एवं वित्तीय निविदा के प्रपत्र आदि संलग्न है जोकि निविदा का भाग है।

(संयुक्त आयुक्त प्रशासन)
10/10/12

निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक निर्देश

1. लिफाफा "अ" में ईएमडी एवं तकनीकी निविदा –

एजेंसी की तकनीकी/व्यावसायिक क्षमता के आंकलन हेतु जानकारी तकनीकी निविदा प्रपत्र–1 में दी जाये। तकनीकी निविदा के साथ निविदा प्रपत्र भी (वित्तीय आफर छोड़कर) प्रस्तुत किया जायें। अर्थात तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र (वित्तीय निविदा को छोड़कर) रू. 2000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं रू. अमानत राशि रू. 20000/– की डी.डी. जोकि मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के नाम पर हो, संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा प्रथम दृष्ट्या निरस्त कर दी जायेगी।

2. लिफाफा "ब" वित्तीय निविदा

वित्तीय आफर संलग्न प्रपत्र–2 में प्रस्तुत किया जाये। वित्तीय आफर में प्रत्येक आयटम के अनुसार दरें प्रस्तुत की जायें, जिसमें समस्त व्यय व कर अन्य अनुषंगी व्यय आदि समस्त देयताओं को जोड़कर सम्मिलित होना चाहिए।

3. उपरोक्त लिफाफे **"अ"** एवं **"ब"** एक बड़े लिफाफे – इसको लिफाफा "स" कहा जाये, के अन्दर रखकर सीलबंद कर प्रस्तुत किए जायें जो आयुक्त, म.प्र. रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल को संबोधित हो। लिफाफे "स" पर – **"फोटो कापी कार्य हेतु निविदा"** अंकित होना चाहिये। इसी के साथ निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम, पता तथा अंदर रखे लिफाफों का विवरण अंकित होना चाहिए। लिफाफे पर निविदा सूचना क्रमांक, दिनांक स्पष्ट रूप से लिखा जाये।

4. निविदाएं 26.10.12 तारीख तक समय अपरान्ह 3.00 बजे तक परिषद् मुख्यालय भोपाल में व्यक्तिगत रूप से जमा की जायें। डाक से भेजे जाने पर होने वाले विलंब आदि हेतु परिषद् उत्तरदायी नहीं होगी। इसी तारीख 30.10.12 को समय अपरान्ह 12.00 बजे तकनीकी निविदा निविदादाता फर्मों के अधिकृत प्रतिनिधियों (जोकि उपस्थित होंगे के समक्ष खोली जायेगी)। तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन के उपरांत सक्षम वित्तीय निविदा 30.10.12 को अपरान्ह 2.30 बजे निविदा निविदादाता फर्मों के अधिकृत प्रतिनिधियों (जोकि उपस्थित होंगे के समक्ष खोली जायेगी)

5. प्रस्तुत की जा रही निविदा एंव संलग्नों निविदा पत्रों पर संबंधित निविदादाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर पेजिंग कर हस्ताक्षर किये जायें।

6. तकनीकी निविदा में जिस क्रम में जानकारी चाही गई है उससे संबंधी समस्त दस्तावेज एवं जानकारी उसी क्रम में प्रस्तुत किये जायें।

10/10

(प्रपत्र–1)

तकनीकी निविदा

(प्रपत्र–1 संबंधित संलग्नों/दस्तावेजों सहित लिफाफे "अ" में रखा जाकर लिफाफे "अ" को सीलबंद किया जाना है प्रपत्र–1 "अ" प्रपत्र–1 के साथ में ही संलग्न किया जाना है)

1	एजेन्सी/फर्म का नाम :	
2	एजेन्सी/फर्म का कस्टीट्यूशन :	
3	पंजीयन नं.(कृपया पंजी.आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें)	
4	स्थायी पता :	
5	टेलीफोन नं.	
6	फैक्स नम्बरः	
7	ई–मेल पताः	
8	फर्म का स्थानीय आफिस का पता :	
9	फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, टेलीफोन नं. आदि :	
10	फर्म के बारे में विस्तृत जानकारी :	
11	नगर निगम भोपाल का लाइसेंस क्रमांक :	
12	आयकर स्थायी खाता संख्या–पेन नम्बर (यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि पेन नं. संबंधित फर्म का ही है अन्य का नहीं।) वित्त वर्ष 10–11 एवं 2011–12 की भरी हुयी आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगाये। प्रमाणित किया जाता है कि संस्था पर किसी भी प्रकार का आयकर को अदा किया जाना शेष नहीं है।	

10/10

13	वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की स्व सत्यापित टर्न ओवर : **(सत्यापित प्रति संलग्न करें।)** औसत रूप से उक्त दोनो वित्तीय वर्षो में रू. 5,00000 से कम नहीं का टर्न ओवर होना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।	
14	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रारूप एक "अ" में संलग्न करे।	संलग्न हाँ/नही
15	अमानत राशि रू. 20000/– की डी.डी. संलग्न करें।	संलग्न हाँ/नही

//प्रमाणन एवं घोषणा//

प्रमाणित एवं घोषित किया जाता है कि –

1. हमने निविदा की शर्तों का भलीभांति अध्ययन कर लिया है शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु हम सहमत हैं।
2. हमारी फर्म को कभी भी शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थानों द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।
3. हमारी फर्म किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में कभी भी संलग्न नहीं रही है।
4. फर्म में लगाये गये कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम वेजेस एक्ट, ईपीएफ, ईएसआई आदि का पालन किया जाता है।
5. किसी भी प्रकार के कर अपवंचन का प्रकरण हमारे विरूद्ध लंबित नहीं है एवं शासन को देय समस्त प्रकार के कर, अशंदान आदि हमारे द्वारा समय पर चुकाये जाते हैं।
6. उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी सत्य है। असत्य पायी जाने पर विधि सम्मत कार्यवाही हमारे विरूद्ध की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा :.....................

10 20

प्रपत्र –1 "अ"

पूर्व कार्य का अनुभव

(इस प्रपत्र को प्रपत्र–1 के साथ संलग्न किया जाना है)

कृपया पिछले 2 वर्षों 10–11, 11–12 में किये गये कार्य का विवरण दे। (प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)

विभाग / क्लाइन्ट का नाम	कार्य का विस्तृत विवरण	अनुबंधित लागत	कार्य आबंटन की निर्धारित समयावधि	विभाग का कार्य आदेश क्रमांक एवं प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाएं
1	2	3	4	5

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी सत्य एवं शुद्ध है एवं किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। असत्य पाए जाने पर हमारी संस्था पर विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा :....................

(प्रपत्र–2)

(यह प्रपत्र लिफाफे "ब" में पृथक से रखकर लिफाफे "ब" को सीलबंद किया जाना है)

वित्तीय निविदा
दरें प्रस्तुत किए जाने वाला प्रपत्र

क्र.	आयटम	इकाई	दर (पैसे में) समस्त करो / एवं अन्य अधिभारों सहित
1.	फोटोकापी – साईज ए–4 सेट बनाने सहित	प्रति पृष्ठ	
2.	फोटोकापी – साईज लीगल सेट बनाने सहित	प्रति पृष्ठ	
3.	फोटोकापी – साईज ए–3 सेट बनाने सहित	प्रति पृष्ठ	
4.	स्पायरल बाईडिंग – प्लास्टिक कव्हर सहित	प्रति बुकलेट	
5.	स्पायरल बाईडिंग –प्लास्टिक कव्हर छोड़कर	प्रति बुकलेट	
6.	कलर फोटोकापी	प्रति पृष्ठ	

हस्ताक्षर

निविदादाता